



# श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विष्वविद्यालय)

जोबनेर, जिला जयपुर (राज.) 303329

फोन नं. 01425-254022 (का.), ई-मेल: dean.skncoa@sknau.ac.in

वेबसाइट: <https://skncoa.sknau.ac.in>



डॉ. डी. के. गोठवाल

अधिष्ठाता एवं संकाय अध्यक्ष (कृषि)

No. F./LPM/SKNCOA/2026/125

Date: 19/3/2026

## कार्य आदेश

M/s Ramanad Kargo

Bohara Market village and poat khora bisal benad road via  
Jhotowara, Jaipur (Raj.)

Email: [ramanandcargo.ipr@gmail.com](mailto:ramanandcargo.ipr@gmail.com)

विषय: Sewage Dewater pump की आपूर्ति बाबत।

संदर्भ: कोटेशन क्रमांक No. F (/)/Tender/SKNCOA/LPM/2026/113 dated 13.03.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आपकी फर्म की माल की आपूर्ति एवं इस्टोलेशन की दरे न्यूनतम पाई जाने एवं कोटेशन हेतु गठित उपापन समिति की सिफारिश एवं अधिष्ठाता द्वारा दर अनुमोदन आदेश उपरांत आपको निम्नानुसार दरों पर श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के निम्नलिखित विभाग में महाविद्यालय कोटेशन की शर्तों के अनुसार फर्म को माल की आपूर्ति एवं इस्टोलेशन का कार्य-आदेश दिया जाता है।

S. No.	Item Description	Qty.	Total price with GST (₹)
1.	Sewage Dewater pump 50 Hz Three Phases 280 to 415 volts , Delivery pipe size -50 mm – 2800RPM Head 8 meter to 19 meter Discharge-15000-20,000 liter/hour 2HP-1.5 KW	01 Nos.	29,200.00

नोट: कोटेशन की सभी शर्तों के साथ RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 पूर्ण रूप से लागू होकर कोटेशन के अनुसार RTPP नियम 2013 का नियम 29 (ज) आप पर पूर्वतया प्रभावी रहेगा। महाविद्यालय में सामग्री आपूर्ति का कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।

1.	माल की आपूर्ति का कार्य	कार्य आदेश की दिनांक से 07 दिवस में
2.	बिल:	अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के नाम से

शास्ति: विलंब से आपूर्ति पर निम्न प्रकार से शास्ति वसूली जायेगी:

**Penalty: Penalty will be collected on late supply in the following manner:**

अ.	निर्धारित अवधि से 1/4 अवधि विलम्ब पर Delay up to one-fourth period of the prescribed Delivery Period	2.5%
ब.	1/4 अवधि से अधिक आधी अवधि तक विलम्ब पर Delay exceeding one fourth but not exceeding half of the prescribe Delivery Period	05%
स.	1/2 अवधि से अधिक तीन चौथाई तक अवधि तक विलम्ब पर Delay exceeding half but not exceeding three-fourth of the prescribe Delivery Period	7.5%
द.	3/4 अवधि से अधिक विलम्ब होने पर Delay exceeding three-fourth of the prescribed period	10%

  
अधिष्ठाता एवं संकाय अध्यक्ष

**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
2. संयोजक एवं सदस्य, निविदा समिति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर
3. श्रीमान कोषाधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
4. आहरण एवं वितरण अधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर
5. अनुभाग अधिकारी, लेखा शाखा, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर
6. इंचार्ज सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर लेख है कि इस कोटेशन आदेश को विश्वविद्यालय वेबसाईड पर अपलोड करावें।
7. रक्षित पत्रावली



प्रभारी, एल.पी.एम